राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय) विभाग

विषयः– अधीनस्थ विभागो में निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किये जाने हेतु नोर्म्स निर्धारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीनस्थ विभागो के निजी सचिव सवंर्ग में वर्तमान में स्वीकृत पदो का पुर्नगठन किये जाने हेतु निम्नानुसार नोर्म्स निर्धारित किये जाते है।

क्र.स.	निजी सचिव संवर्ग (सचिवालय संवर्ग के अतिरिक्त)			
	वर्तमान पदनाम	संशोधित पदनाम	सशोधित पदो के नोर्म्स हेतु प्रतिशत	विशेष विवरण
1		वरिष्ठ निजी सचिव (L-16)	3	नवीन पद सृजन
2	निजी सचिव (L-15)	निजी सचिव (L-15)	9	–
3	अति. निजी सचिव (L-12)	अति. निजी सचिव (L-12)	17	–
4	निजी सहायक (L-11)	निजी सहायक ग्रेड –I (L-11)	24	पदनाम परिवर्तन
5	शीघ्रलिपिक (L-10)	निजी सहायक ग्रेड –II (L-10)	47	पदनाम परिवर्तन
			100	

नोट :–

(1) विभाग में निजी सचिव संवर्ग के 25 से अधिक पद होने पर न्यूनतम एक वरिष्ठ निजी सचिव का पद सृजित किया जायेगा।

(2) विभाग में निजी सचिव संवर्ग के 10 से अधिक पद होने पर न्यूनतम एक निजी सचिव का पद स्वीकृत किया जायेगा।

(3) जिन विभागो में स्टेनों संवर्ग के 10 से कम पद स्वीकृत है। उन विभागो के प्रस्ताव पत्रावली पर वित्त विभाग में प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(4) जिन विभागों में निजी सचिव संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जाएगा तथा जैसे–जैसे पदोन्नति/सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होगे, अस्थायी रूप से सृजित पर स्वतः संशोधित कॉडर स्ट्रेन्थ के अनुसार पदों में समायोजित हो जायेगे।

D:\meeting notice.doc.kundan

(5) उक्त अनुसार विभागों में निजी सचिव संवर्ग का पुनगर्ठन करने पर यह सुनिश्चित किया जावें कि दिनांक 01.04.2022 में निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों में कोई वृद्धि नहीं हो।

(6) विधि विभाग, राजकीय वाद करण विभाग व विधि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जिनमें पदों का सृजन शेट्टी आयोग द्वारा पीठासीन न्यायिक अधिकारी के अनुसार स्टेनों संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन के नार्मस निर्धारित किये गये है। अतः इन विभागों के संबंध में विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रशासनिक विभागो से दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार सूचना प्राप्त कर, अधिनस्थ कार्यालयो के निजी सचिव सवंर्ग के पदो को पुर्नगठन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यह वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102202496 दिनांक 28.09.2022 से माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय से अनुमोदित है।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव,
वित्त (व्यय) विभाग

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (व्यय-1,2,3,4,5) विभाग

अशा.टीप. **FD/E-2/DOP/( ) 2022-23** दिनांक: 04:10:2022

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. P.S. to P.S.F.
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि अधीनस्थ कार्यालयो के निजी सचिव सवंर्ग मे नवीन पद सृजन /पद नाम परिवर्तन के संबंध में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही करावे।
3. शासन सचिव, वित्त (बजट) को प्रेषित कर अनुरोध है कि अधीनस्थ कार्यालयो के निजी सचिव सवंर्ग मे नवीन पद सृजन/पद नाम परिवर्तन के कारण पुर्नरीक्षित वेतनमान 2017 के परिशिष्ठ "बी" में वांछित संशोधन करावे।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव,
वित्त (व्यय) विभाग

D:\meeting notice.doc.kundan